

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 2 अगस्त, 2024

उद्घोषित: 11 सितंबर, 2024

ज़मानत आवेदन 4019/2023

बडाकुलू लाडू उर्फ सुशांत

....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री आदित्य अग्रवाल और सुश्री
शिवानी शर्मा, वीसी के माध्यम से
अधिवक्तागण

बनाम

राज्य

..... प्रत्यर्थी

द्वारा:

श्री अमन उस्मान, राज्य के
अति.लो.अभि. सह उप.नि. अंकुर
यादव, पु.था. क्राइम ब्रांच

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश दयाल

निर्णय

न्या. अनीश दयाल

1. यह याचिका स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ('अधिनियम') की धारा 20/25/29 के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 21/2021 पु.था.

अपराध शाखा में याचिकाकर्ता के लिए नियमित जमानत की मांग करती है। प्राथमिकी 10 फरवरी 2021 को दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता 17 जनवरी 2023 से जेल में बंद है और उसकी पिछली कोई संलिप्तता नहीं है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 10 फरवरी 2021 को एक गुप्त सूचना मिलने पर, मोहित यादव और सुभाष चंद्र उर्फ दीपू नामक दो व्यक्तियों को एक ट्रक सं. यूपी 81एएफ 7152 के साथ ओवर ब्रिज डीएनडी, रिंग रोड दिल्ली से पकड़ा गया, जिसमें 5 प्लास्टिक बैग में 116.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। जांच के दौरान, अभियुक्त मोहित यादव ने खुलासा किया कि उसे नोएडा, उत्तर प्रदेश के निवासी प्रिंस ने उड़ीसा में सुशांत उर्फ बड़ाकुलु लाडू (याचिकाकर्ता) से मिलने का निर्देश दिया था। वह उड़ीसा के दिगाफंडी में सुशांत से मिला, जिसने उसे गांजे से भरे 5 प्लास्टिक बैग दिए। खुलासे के अनुसार, गांजा प्रिंस को दिया जाना था; सुशांत का मोबाइल नंबर मोहित यादव ने दिया था। 15 फरवरी 2021 को, अधिनियम की धारा 52क के तहत साकेत कोर्ट, दिल्ली के समक्ष कार्यवाही की गई। सभी 5 प्लास्टिक बैग से नमूने लिए गए। 16 फरवरी 2021 को, प्रतिबंधित सामान पर विशेषज्ञ की राय के लिए नमूने एफएसएल, रोहिणी में जमा किए गए। 6 जुलाई 2021 को एफएसएल रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिबंधित पदार्थ भांग (गांजा) पाया गया।

3. बरामद ट्रक का पंजीकृत मालिक श्रीनिवास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी है, जिसने बताया कि उसने अपना ट्रक पुष्पेंद्र गुप्ता, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश को बेचा था। पुष्पेंद्र गुप्ता ने बताया कि उसने ट्रक को दिल्ली से उड़ीसा ले जाने के लिए मोहित यादव को सौंप दिया था। उसने बरामद गांजे के बारे में कुछ नहीं बताया।

4. श्रीनिवास और पुष्पेंद्र दोनों को आरोप-पत्र के कॉलम 12 में रखा गया क्योंकि उनके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं थे। सुशांत के मोबाइल नंबर 7788915531 का सीएएफ जियो टेलीकॉम सर्विसेज से प्राप्त किया गया और यह याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत पाया गया, जो उड़ीसा के दिगाफंडी का निवासी था।

5. अभियुक्त मोहित यादव ने सीएएफ में सुशांत उर्फ बडाकुलु लाडू की फोटो देखकर उसकी पहचान की। मोहित और याचिकाकर्ता के मोबाइल नंबरों के सीडीआर विश्लेषण के अनुसार, दोनों एक-दूसरे से जुड़े पाए गए और उन्होंने 1 फरवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 के बीच 16 बार एक-दूसरे से संपर्क किया। इनकी लोकेशन (ठिकाना) ओडिशा के दिगाफंडी में मिली। याचिकाकर्ता के उड़ीसा स्थित गांव स्थित आवास पर छापे मारे गए लेकिन वह गिरफ्तारी से बच रहा था। गैर जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन याचिकाकर्ता के न मिलने के कारण उन पर अमल नहीं किया जा सका। विचारण न्यायालय से दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.') की धारा 82 और 83 के अंतर्गत प्रक्रिया जारी की गई।

6. 15 जनवरी 2023 को विशेष प्रकोष्ठ, दक्षिणी रेंज, साकेत ने याचिकाकर्ता को गंजम, उड़ीसा से गिरफ्तार किया; 17 जनवरी 2023 को उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उसने खुलासा किया कि प्रिंस उर्फ पुष्पेंद्र उर्फ राहुल नामक व्यक्ति उससे गांजा खरीदता था और पैसे उसके एसबीआई खाता संख्या 35545981890 में भेजता था। खाता विवरण से इसकी पुष्टि की गई। इस खाते में राघवेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति से तीन किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे, दो किस्तों में 10,000 रुपये और एक किस्त में 20,000 रुपये। राघवेंद्र गुप्ता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने यह रकम अपने भाई पुष्पेंद्र के निर्देश पर चुकाई थी। अनुपूरक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। 8 दिसंबर 2023 को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए गए।

7. याचिकाकर्ता को उसकी भतीजी की शादी के लिए इस न्यायालय के 23 फरवरी 2024 के आदेश के तहत 12 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। उसे 22 अप्रैल 2024 को रिहा किया गया और 4 मई 2024 को उसने आत्मसमर्पण कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तीन पहलुओं पर अपना मामला रखा: *पहला*, नमूना दोषपूर्ण था और अधिनियम की धारा 52क के अनुपालन में नहीं था; *दूसरा*, याचिकाकर्ता को केवल खुलासे, सीडीआर विश्लेषण और मौद्रिक लेनदेन के आधार पर गिरफ्तार किया गया था; *तीसरा*, धारा 82 और 83 दं.प्र.सं. के तहत कार्यवाही याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा होने से वंचित नहीं करेगी

9. अधिनियम की धारा 52क के अंतर्गत पहले मुद्दे के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि ट्रक, जो पुष्पेंद्र गुप्ता के नाम पर था, जिसे कॉलम 12 के अंतर्गत रखा गया था, वो वह स्थान था, जहां 25.75 किलोग्राम, 26.45 किलोग्राम, 13.1 किलोग्राम, 25.4 किलोग्राम और 25.8 किलोग्राम वजन वाले गांजा की पांच बोरियां ज्वार की 351 बोरियों के ऊपर पड़ी मिलीं। प्रत्येक बोरी को खोलने पर उसमें अनेक बंडल निकले। नमूना लेने के दौरान, दंडाधिकारी ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया क्योंकि प्रत्येक बंडल से नमूना नहीं लिया गया था तथा प्रत्येक बोरी से केवल दो नमूने लिए गए थे। ***आस मोहम्मद बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार जमानत आवेदन संख्या 2334/2023, सरवन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सरकार जमानत आवेदन संख्या 2781/2022 और सचिन कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) जमानत आवेदन संख्या 557/2023 पर भरोसा किया गया,*** जो इस न्यायालय के समन्वय पीठों के निर्णय हैं, जिनमें नमूना प्रक्रिया में दोष

को ध्यान में रखते हुए जमानत दी गई है। बंडलों की संख्या के संबंध में जांच अधिकारी से विचारण न्यायालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर भरोसा किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पांचों बोरों में से हर एक में कई बंडल थे।

10. दूसरे मुद्दे के संबंध में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता से कोई बरामदगी नहीं की गई है और उसे केवल सह-अभियुक्त, सीडीआर कनेक्टिविटी (16 कॉल) और पुष्पेंद्र, जिसे स्वयं गिरफ्तार नहीं किया गया है, के साथ कुल 40,000/- (20,000/- रुपये, 10,000/- रुपये, 10,000/- रुपये) के मौद्रिक लेनदेन के खुलासे पर गिरफ्तार किया गया है। **काले राम बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 733; **जलील खान बनाम राज्य** जमानत आवेदन संख्या 2585/2021, दिनांक 18.11.2022 का आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय); **अजमल टी.ए. उर्फ कुरु बनाम केरल राज्य** वि.अनु.या. (आप.) संख्या 6599/2023, दिनांक 23.08.2023 का आदेश; **उषा देवी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** 2024 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4780; **अरुण कुमार आजाद बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** जमानत आवेदन संख्या 3620/2023, दिनांक 02.04.2024 का आदेश (दिल्ली उच्च न्यायालय); **अमित रंजन बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** 2022 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 1532; **सुमित फगना बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** 2024 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 3039 में निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

11. तीसरा पहलू यह है कि धारा 82 और 83 सीआरपीसी के संबंध, कार्यवाही याचिकाकर्ता को अधिकार से वंचित नहीं करेगी, **दिनेश खंगार उर्फ राहुल बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)** जमानत आवेदन संख्या 1425/2023, आदेश दिनांक 11.08.2023 और **अक्षत गुलिया बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)** जमानत आवेदन संख्या 1443/2024, आदेश दिनांक 07.08.2023 में इस न्यायालय की समन्वय पीठों के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

12. अधिनियम की धारा 52क के पहले पहलू पर, अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत आरोपित किया गया था जिसका नमूनाकरण से कोई लेना-देना नहीं है। अभियोजन पक्ष को उसे सौंपी गई भूमिका के संबंध में अपने आरोप को साबित करना होगा और वह नमूना लेने की प्रक्रिया में किसी भी चूक का लाभ नहीं उठा सकता है। यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि नमूना प्रक्रिया के संबंध में गैर-अनुपालन किया गया है, तो यह उजागर किया गया था कि अभियुक्त मोहित यादव और सुभाष चंद्रा, जिनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था, ने धारा 52 क के तहत प्रक्रिया को कभी चुनौती नहीं दी। विचारण न्यायालय ने एमएम द्वारा आयोजित धारा 52क के तहत कार्यवाही की पूरी तस्वीरों को देखने के बाद स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दिया था कि 5 कट्टा के अंदर कोई पैकेट नहीं था।

13. इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन संख्या 11732/2023 में दिनांक 23 मई 2024 के आदेश द्वारा मोहित यादव की जमानत खारिज कर दी गई थी। इसके अलावा, अभियुक्त की हिरासत अवधि 16 से 17 महीने थी और विचारण चल रहा था और विचारण से उसके भागने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था।

14. नमूना प्रक्रिया के मुद्दे पर अधिक विस्तार से बताते हुए, अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम स्वयं नमूने लेने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया का प्रावधान नहीं करता है और इसलिए, एकरूपता के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने स्थायी आदेशों के माध्यम से एक प्रक्रिया निर्धारित की है। तत्पश्चात्, जब्त की गई औषधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संसद द्वारा अधिनियम की धारा 52क जोड़ी गई और इसलिए, जब्त स्वापक औषधियों और मनप्रभावी पदार्थों के निपटान के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। धारा 52क में जब्त प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची बनाकर तथा उनके नमूने रखकर मामले की सामग्री के निपटान का प्रावधान है। प्रतिनिधि नमूने रखने का उद्देश्य मुख्य रूप से विचारण के दौरान मामले की सामग्री को प्रदर्शित करना है।

15. संक्षेप में, दो प्रकार के नमूने होंगे - एक एफएसएल से प्रतिबंधित सामग्री की प्रकृति का परीक्षण करने के लिए, तथा दूसरा मामले की संपत्ति के भाग के रूप में रखने के लिए, ताकि बाद में विचारण के दौरान प्रदर्शित किया

जा सके। स्थायी आदेश 1/89 खंड 2.1 के अनुसार नमूना घटनास्थल पर ही लिया जाना चाहिए ताकि बाद में इससे छेड़छाड़ की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।

16. **ई. माइकल राज बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो** (2008) 5 एससीसी 161 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 2008 में दिए गए निर्णय में मात्रा निर्धारित करने के लिए विचार किए जा रहे पदार्थ की शुद्धता की ओर झुकाव था, जबकि बाद में **हीरा सिंह बनाम भारत संघ** (2020) 20 एससीसी 272 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि मात्रा निर्धारित करते समय तटस्थ पदार्थों को भी ध्यान में रखना होगा। **भारत संघ बनाम मोहनलाल** (2016) 3 एससीसी 379 में उच्चतम न्यायालय ने दंडाधिकारी के समक्ष नमूने लेने पर जोर दिया था, लेकिन इसका उद्देश्य मामला संपत्ति का निपटान था।

17. इसके बाद, अधिनियम की धारा 52क के साथ पठित धारा 76 के तहत नए नियम बनाए गए, जो 23 दिसंबर 2023 को अस्तित्व में आए। स्थायी आदेशों के अनुसार, हालांकि सामान्यतः प्रत्येक पैकेट से नमूने लिए जाने होते हैं, अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि सामान्यता के अपवाद के रूप में, इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि यदि प्रतिबंधित माल का ट्रक संख्या में बड़ा हो और रूप, आकृति, साइज में एक जैसा हो तो संयुक्त नमूना तैयार किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 और 40 के लाट, जैसा भी मामला हो, बनाए जा सकते हैं। यदि फील्ड-परीक्षण किट के प्रयोग से, पदार्थ

समान पाए जाते हैं, तो किसी भी पैकेट से नमूने लिए जाएंगे और अन्य लॉट से लिए गए अन्य नमूनों के साथ समरूप रूप से मिलाया जाएगा। यदि किसी तटस्थ पदार्थ की संभावना से इनकार किया जाता है तो प्रत्येक पैकेट से नमूना लेना अनिवार्य नहीं था।

18. नमूनाकरण के उद्देश्य से, यदि सभी पैकेटों को मिला दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक पैकेट के नमूनों को मिलाकर एक समग्र नमूना बनाया जाता है। उपरोक्त के बावजूद, अति.लो.अभि. ने तर्क दिया कि स्थायी आदेश 1/88 या 1/89 केवल एनसीबी द्वारा जारी किए गए परामर्श हैं और उनका कोई वैधानिक अधिदेश नहीं है। इसके बाद उन्होंने **पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह** (1994) 3 एससीसी 299 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को अति तकनीकी का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्थायी आदेश केवल निर्देशात्मक प्रकृति के होते हैं और उनके लिए पर्याप्त अनुपालन की आवश्यकता होती है। **मसीबुर खान बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 3326 पर भरोसा किया गया, जहां दोषपूर्ण नमूनाकरण प्रक्रिया के संबंध में, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नानुसार माना:

"40. .. इस न्यायालय की राय में, लिया गया नमूना बरामद प्रतिबंधित माल का सच्चा प्रतिनिधि नमूना होगा या नहीं, इसका उत्तर रासायनिक विश्लेषक द्वारा दिया जा सकता है, जो नमूने का विश्लेषण करता है और अपनी राय देता है। विद्वान विशेष न्यायाधीश को मुकदमे के

दौरान रासायनिक विश्लेषक की गवाही के साथ-साथ न्यायालय में जब्त प्रतिबंधित माल को पेश करने का भी लाभ मिलेगा। यह ध्यान रखना उचित है कि यदि आवश्यक हो तो मामले की संपत्ति अभी भी आगे के विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। इसलिए, इस स्तर पर यह कहना जल्दबाजी होगी कि लिए गए नमूने जब्त किए गए प्रतिबंधित माल के वास्तविक प्रतिनिधि नमूने नहीं हैं। वर्तमान मामले में, मामले की संपत्ति की जांच के समय, विद्वान विशेष न्यायाधीश अपनाई गई प्रक्रिया की शुद्धता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं।"

19. इसके अलावा, शैलेंदर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 4896 पर भरोसा किया गया, जहां इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"14. ..जिन परिस्थितियों के तहत नमूनाकरण प्रक्रिया का पालन आदेश के अनुसार नहीं किया जा सका, उन पर साक्ष्य रिकॉर्ड में पेश किए जाने और एफएसएल विशेषज्ञ से जांच के बाद उचित रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है। धारा 19, 24 या 27क के अंतर्गत दंडनीय अपराधों और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए धारा 37(1)(ख)(ii) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाओं पर विचार करते हुए, इस स्तर पर 'यह मानने के लिए उचित आधार' मौजूद होना चाहिए कि व्यक्ति ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। मेरी सुविचारित राय में, इस स्तर पर यह निष्कर्ष देने के लिए कोई उचित आधार मौजूद नहीं है कि जांच एजेंसी द्वारा अपनाई गई कथित नमूनाकरण प्रक्रिया के कारण पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण हो गई है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि नमूना लेने में प्रक्रियागत कमी पर केवल साक्ष्य रिकॉर्ड पर पेश किए जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

20. **सद्दाद आलम बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार),** जमानत आवेदन संख्या 2475/2023 में की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा

किया गया, जहां इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 52ए से संबंधित मुद्दों की जमानत पर विचार के चरण में जांच नहीं की जा सकती है और उन पर विचारण के दौरान निर्णय लिया जाना चाहिए। राज्य की ओर से अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि स्थायी आदेशों का पालन न करना जमानत का आधार नहीं है, क्योंकि नमूना लेना विचारण का विषय है। जांच अधिकारी नमूने लेने के लिए क्षेत्र में विभिन्न व्यावहारिक तरीकों को अपना सकता है और जब तक यह नहीं दिखाया जाता कि ऐसे नमूने लेने से कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है, तब तक यह जमानत देने का आधार नहीं बन सकता। न्यायालय को जांच अधिकारी की व्यावहारिक कठिनाइयों तथा अभियुक्त द्वारा जमानत प्राप्त करने के लिए अपनाई गई विभिन्न अति-तकनीकी बातों को उचित महत्व देना चाहिए, विशेषकर तब जब प्रतिबंधित सामग्री छोटे पैकेटों या कैप्सूलों में रखी गई हो।

21. पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत को लागू करने के लिए **सीसीई बनाम हरि चंद श्री गोपाल** (2011) 1 एससीसी 236 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया; इस संबंध में शिक्षाप्रद होने के नाते उक्त निर्णय का निम्नलिखित अंश प्रस्तुत किया गया:

"पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत और "इच्छित उपयोग"

32. पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत एक न्यायिक आविष्कार है, जो प्रकृति में न्यायसंगत है, जिसे उन मामलों में कठिनाई से

बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां कोई पक्षकार वह सब करता है जो उससे उचित रूप से अपेक्षित हो सकता है, लेकिन कुछ मामूली या असंगत पहलुओं में विफल या दोषपूर्ण होता है जिन्हें आवश्यकताओं के "सार" या "तत्व" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। "उचितता" की अवधारणा की तरह, "पर्याप्त अनुपालन" की दलील को स्वीकार करना या न करना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और लक्ष्य तथा उन पूर्वापेक्षाओं के संदर्भ पर निर्भर करता है जो नियम या विनियमन के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। यदि कानून के उद्देश्य और प्रयोजन को प्रभावी बनाने वाली स्पष्ट वैधानिक पूर्वापेक्षा पूरी नहीं की गई है तो ऐसा बचाव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से, इसका अर्थ यह है कि न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है, ताकि वह उद्देश्य पूरा हो सके जिसके लिए कानून बनाया गया था, न कि इसका सख्त अनुपालन किया गया हो। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है "कानून के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक तत्व के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है या नहीं ताकि कानून के इरादे को पूरा किया जा सके और जिन उचित उद्देश्यों के लिए इसे पारित किया गया था उन्हें पूरा किया जा सके।"

22. राज्य के अति.लो.अभि. ने अधिनियम की धारा 29 का संदर्भ देते हुए तर्क दिया कि यदि दो व्यक्ति एक साथ यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं और दोनों के पास एक ही स्थान से प्राप्त प्रतिबंधित सामग्री है, तो यह उनका मामला नहीं हो सकता कि उनसे उनके पास मौजूद मात्रा के लिए अलग से शुल्क लिया जाए, क्योंकि उनके द्वारा रखी गई मात्राएं एक ही लेन-देन का

हिस्सा बनती हैं, भले ही ऐसी मात्राएं अलग-अलग हों। इसके अलावा, अति.लो.अभि. ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **रिथम राणा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 771 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया ताकि इस प्रस्ताव पर भरोसा किया जा सके कि आपराधिक साजिश का प्रत्यक्ष सबूत नहीं हो सकता है और इसका अनुमान केवल मौजूदा परिस्थितियों, घटनाओं आदि से लगाया जा सकता है, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार उद्धृत हैं:

"24. आपराधिक साजिश का कोई प्रत्यक्ष और स्पष्ट सबूत नहीं हो सकता है और न्यायालय को केवल वर्तमान परिस्थितियों, घटनाओं और अन्य संबंधित सामग्री से इसका अनुमान लगाना है, जो अभियोजन एजेंसी द्वारा की गई जांच का परिणाम है।"

23. **अवधेश यादव बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** 2023 एससीसी ऑनलाइन डेल 7732 पर भरोसा किया गया, जहां इस अदालत की एक समन्वय पीठ ने ऐसे उदाहरणों को चित्रित किया जहां पदार्थों को इकट्ठा करने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त मिसाल के निम्नलिखित उद्धरण इस संबंध में शिक्षाप्रद हैं:

"49. कानून के प्रावधानों और निर्णयज विधि के सार से, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, जमानत के स्तर पर दो या अधिक सह-अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित माल की मात्रा को मिलाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत निकाले जा सकते हैं:

i. मात्रा को मिलाने के लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत उकसाने और/या षडयंत्र के अपराध का उल्लेख आवश्यक है।

हालाँकि, केवल अधिनियम की धारा 29 के तहत अपराध के आह्वान के आधार पर, सभी अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित माल की मात्रा को एक साथ जोड़ने का कोई सीधा फार्मूला नहीं हो सकता है। यह प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।

ii. अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत उकसाने और/या षड्यंत्र के अपराध को आरोपित करने के लिए जिस सामग्री का सहारा लिया जाता है, वह उकसाने और/या षड्यंत्र के अपराध में आरोपित प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय होनी चाहिए।

iii. ऐसे मामले में जहां दो या अधिक सह-अभियुक्तों से प्रतिबंधित माल की संयुक्त बरामदगी की गई है, बरामद प्रतिबंधित माल को सभी अभियुक्तों के बीच समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बरामद प्रतिबंधित माल की मात्रा "व्यावसायिक मात्रा" में है या नहीं।

iv. जहां अभियुक्त व्यक्ति एक ही निजी वाहन में एक साथ यात्रा कर रहे हों और व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित सामान ले जा रहे हों, वहां कथित बरामदगी को व्यक्तिगत बरामदगी मानना उचित नहीं होगा और सभी व्यक्तियों से बरामद प्रतिबंधित सामान को एक साथ जोड़ा जा सकता है।

v. यदि अभियुक्त आदतन अपराधी है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह इस धंधे की चाल जानता है। ऐसी स्थिति में, एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामले में अभियुक्त की पिछली संलिप्तता एक अतिरिक्त कारक है, जिस पर अन्य अपराधजनक परिस्थितियों के अलावा, दो या अधिक सह-अभियुक्तों से बरामद प्रतिबंधित पदार्थों की मात्रा को जोड़ने के लिए विचार किया जा सकता है।

विश्लेषण

24. यद्यपि अति.लो.अभि. की ओर से प्रस्तुतियां नमूनाकरण के संबंध में धारा 52ए के पर्याप्त अनुपालन के मुद्दे पर थीं, अति.लो.अभि. ने यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता पर अधिनियम की धारा 29 के तहत आरोप लगाया गया था, इसलिए नमूनाकरण का पहलू इस अभियुक्त से संबंधित नहीं होगा। अधिनियम की धारा 29 के तहत याचिकाकर्ता/अभियुक्त की भूमिका एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश का हिस्सा होने की है। इस कारण से, न्यायालय नमूनाकरण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करना आवश्यक नहीं समझता है।

25. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मोहित यादव और सुभाष चंद्र से ट्रक में 5 प्लास्टिक बैगों से कथित रूप से 116.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसका मालिक कोई तीसरा पक्ष था। यह केवल मोहित यादव के प्रकटीकरण बयान में था कि याचिकाकर्ता को 5 प्लास्टिक बैग के स्रोत के रूप में एक अभियुक्त व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद, जांच के दौरान याचिकाकर्ता का मोबाइल जब्त कर लिया गया और पाया गया कि याचिकाकर्ता और मोहित के बीच 16 कॉल हुई थीं। राघवेन्द्र गुप्ता नामक व्यक्ति से उसके खाते में कुल 40,000 रुपये की धनराशि तीन किस्तों में, 10,000 रुपये की दो किस्तों में तथा 20,000 रुपये की एक किस्त में स्थानांतरित की गई थी।

26. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारण के प्रस्तुतीकरण और अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता से कोई बरामदगी नहीं की गई है। याचिकाकर्ता को केवल मोहित यादव के खुलासे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिस पर उच्चतम न्यायालय के *तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य* (2021) 4 एससीसी 1 के निर्णय के मद्देनजर भरोसा नहीं किया जा सकता है। संदर्भ की सुविधा के लिए उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

"158.1. जिन अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत वर्जित होगा, और एनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

158.2. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज बयान को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के विचारण में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(ज़ोर दिया गया)

फुंड्रेइमायुम यास खान बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) 2023

एससीसी ऑनलाइन डेल 135 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने पैरा 22 में भी निम्नलिखित कहा है:

"22. वर्तमान मामले में आवेदक या उसके परिसर से कोई मादक पदार्थ या मनःप्रभावी पदार्थ बरामद नहीं हुआ है कोई पुनर्प्राप्ति नहीं है। मेरे अनुसार, आवेदक द्वारा दिया गया प्रकटीकरण कथन आवेदक के विरुद्ध नहीं पढ़ा जा सकता। यह तथ्य कि अमरजीत सिंह संधू द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है या अमरजीत सिंह संधू फरार है, वर्तमान आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

(ज़ोर दिया गया)

27. इस न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा बार-बार यह माना गया है कि केवल सीडीआर विश्लेषण पर भरोसा करना तथा कुछ पक्षकारगण के बीच कॉल का आदान-प्रदान होना, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

28. यह दर्शाने के लिए कि मोहित यादव और किसी अन्य व्यक्ति के बीच प्रतिबंधित सामग्री की आपूर्ति से संबंधित बातचीत हुई थी और सीडीआर विश्लेषण पर सरल निर्भरता उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, जैसा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है।

29. इस न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ **सुलेमान आगा सैहून बनाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो 2024** एससीसी ऑनलाइन डेल 3309 में समन्वय पीठ द्वारा, **तोफान सिंह (पूर्वोक्त)** पर भरोसा किया गया है, जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार उद्धृत है::

"13. यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष का मामला मूलतः अभियुक्त अहमद के प्रकटीकरण बयान और कुछ असत्यापित चैट पर आधारित है, जो कथित रूप से यह साबित करते हैं कि आवेदक अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण कथन और चैट की सत्यता का परीक्षण विचारण के समय किया जाना है। यह न्यायालय तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य, (2021) 4 एससीसी 1 के मामले में दिए गए निर्णय को नजरअंदाज नहीं कर सकता, जहां माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत किया गया प्रकटीकरण कथन बिना पुष्टि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

(ज़ोर दिया गया)

30. उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी जमानत के लिए आवेदन किया जाता है, तो यदि न्यायालय रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को प्रथम दृष्टया देखकर संतुष्ट हो जाता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है, तो धारा 37 की महत्वपूर्ण शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। **मोहम्मद मुस्लिम बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)** 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 352 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निम्नलिखित पैराग्राफ इस संबंध में शिक्षाप्रद हैं:

"20. धारा 37 के अंतर्गत शर्तों की स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या (अर्थात्, न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त दोषी नहीं है और कोई अपराध नहीं

करेगा) प्रभावी रूप से जमानत देने को पूरी तरह से बाहर कर देगी, जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक नजरबंदी और अस्वीकृत निवारक नजरबंदी भी हो सकती है। इसलिए, धारा 37 के तहत अधिनियमित ऐसी विशेष शर्तों पर संवैधानिक मापदंडों के भीतर विचार करने का एकमात्र तरीका यह है कि जब न्यायालय अभिलेख पर मौजूद सामग्री को देखकर (जब भी जमानत आवेदन किया जाता है) प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाए कि अभियुक्त दोषी नहीं है। किसी भी अन्य व्याख्या के परिणामस्वरूप एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत देने से पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

21. इसलिए, विचारणीय मानक वह है, जहां न्यायालय सामग्री को व्यापक रूप से देखेगा, तथा तर्कसंगत रूप से देखेगा कि क्या अभियुक्त का अपराध सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय के निर्णयों ने इस बात पर बल दिया है कि न्यायालयों से जिस संतुष्टि को दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है, अर्थात्, कि अभियुक्त दोषी नहीं हो सकता है, वह केवल प्रथम दृष्टया, उचित पढ़ने पर आधारित है, जिसके लिए जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं होती है (जैसा कि भारत संघ बनाम रतन मलिक¹⁹ में अभिनिर्धारित किया गया है)। विचारण में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देने को अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत बाधित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धारा 436क की अनिवार्यता एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों पर भी लागू होती है (संदर्भ: सतेंद्र कुमार अंतिल पूर्वोक्त)। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय है कि इस मामले के तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।

(ज़ोर दिया गया)

31. जमानत की प्रधानता को हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने **जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1693 में दोहराया है, जहां उच्चतम न्यायालय ने जमानत से संबंधित कानून के सिद्धांतों पर विचार किया है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ उद्धृत हैं:

"9. समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत रोकी नहीं जानी चाहिए।"

10. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालयों को याद दिलाना चाहेंगे कि इस न्यायालय ने (1978) 1 एससीसी 240 में रिपोर्ट किए गए **गुडिकंती नरसिम्हुलु एवं अन्य बनाम लोक अभियोजक**, उच्च न्यायालय में क्या टिप्पणी की थी। हम उद्धृत करते हैं::

"अक्सर जो बात भुला दी जाती है, और इसलिए याद दिलाने की जरूरत है, वह यह है कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को विचारण लंबित रहने या अपील के निपटान तक न्यायिक हिरासत में रखना है।"

:लॉर्ड रसेल, सी.जे., ने कहा [आर. बनाम रोज़, (1898) 18 कॉक्स]

"मैंने देखा है कि इस मामले में बंदी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। देश के दंडाधिकारी पर यह बात बहुत ज़ोर देकर नहीं कही जा सकती कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि

जमानत की आवश्यकताएं केवल विचारण में कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हैं।"

11. इसी सिद्धांत को इस न्यायालय ने (1980) 2 एससीसी 565 में रिपोर्ट किए गए गुरबखश सिंह सिब्बा बनाम पंजाब राज्य में दोहराया है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है, कि इस प्रश्न के समाधान में कि जमानत दी जाए या नहीं, उचित परीक्षण यह है कि क्या यह सम्भावना है कि पक्षकार अपना मुकदमा चलाने के लिए उपस्थित होगा और यह निर्विवाद है कि सजा के रूप में जमानत रोकी नहीं जानी चाहिए।

12. बहुत पहले, (1980) 1 एससीसी 81 में रिपोर्ट किए गए हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य में, इस न्यायालय ने घोषणा की थी कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे अपराधियों के शीघ्र परीक्षण का अधिकार "इस न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए अनुच्छेद 21 के व्यापक प्रभावक्षेत्र और अंतर्वस्तु में निहित है"। यह टिप्पणी करते हुए कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक वैध प्रक्रिया वह है जिसमें एक ऐसी प्रक्रिया शामिल है जो "उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत" है, यह अभिनिर्धारित किया गया कि:

"अब स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया "उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत" नहीं हो सकती जब तक कि वह प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति के अपराध के निर्धारण के लिए शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित न करे। कोई भी प्रक्रिया जो उचित रूप से त्वरित सुनवाई सुनिश्चित न करे उसे "उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत" नहीं माना जा सकता और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि त्वरित सुनवाई,

और त्वरित सुनवाई से हमारा तात्पर्य उचित रूप से शीघ्र सुनवाई से है, अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है। हालांकि, जो सवाल उठता है वह यह है कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को त्वरित सुनवाई से वंचित किया जाता है और अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए लंबे समय से विलंबित सुनवाई के परिणामस्वरूप कारावास द्वारा उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने की कोशिश की जाती है, तो इसका क्या परिणाम होगा।”

13. उपरोक्त टिप्पणियां कई निर्णयों जैसे कि (1981) 3 एससीसी 671 में रिपोर्ट किए गए **कादरा पहाड़िया एवं अन्य बनाम बिहार राज्य** और (1992) 1 एससीसी 225 में रिपोर्ट किए गए **अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक** में बार-बार दोहराई गई हैं। बाद वाले मामले में न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई के अधिकार पर पुनः जोर दिया, तथा आगे कहा कि लम्बे समय तक सुनवाई का सामना कर रहे अभियुक्त के पास कोई विकल्प नहीं है:

“राज्य या शिकायतकर्ता उस पर मुकदमा चलाता है। इस प्रकार, यह राज्य या शिकायतकर्ता का दायित्व है कि वह मामले को उचित तत्परता के साथ आगे बढ़ाए। विशेष रूप से, इस देश में, जहाँ अधिकांश अभियुक्त समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों से आते हैं, जो कानून के तरीकों से वाकिफ नहीं हैं, जहाँ उन्हें अक्सर सक्षम कानूनी सलाह नहीं मिलती है, उक्त नियम का अनुप्रयोग पूरी तरह से अनुचित है। बेशक, किसी दिए गए मामले में, यदि कोई अभियुक्त शीघ्र सुनवाई की मांग करता है और फिर भी उसे यह नहीं दिया जाता है,

तो यह उसके पक्ष में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। लेकिन हम किसी अभियुक्त को इस आधार पर त्वरित सुनवाई के अपने अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने से वंचित नहीं कर सकते कि उसने त्वरित सुनवाई की मांग नहीं की थी या इस पर जोर नहीं दिया था।"

XXX

XXX

XXX

17. हाल ही में आए निर्णय में, (2022) 10 एससीसी 51 में रिपोर्ट किए गए **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, लंबे समय तक कारावास और अत्यधिक देरी ने न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 सहित कई अधिनियमों के संबंध में जमानत के प्रति सही दृष्टिकोण पर विचार किया। न्यायालय ने राय व्यक्त की कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436क (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर वाद समाप्त नहीं होता है तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा) लागू होगी:

"हम अलग-अलग अधिनियमों से निपटना नहीं चाहते क्योंकि प्रत्येक विशेष अधिनियम के पीछे एक उद्देश्य होता है, जिसके बाद उस पर सख्ती बरती जाती है। देरी को नियंत्रित करने वाला सामान्य सिद्धांत इन श्रेणियों पर भी लागू होगा। यह स्पष्ट करने के लिए, संहिता की धारा 436-क में निहित प्रावधान किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में विशेष अधिनियमों पर भी लागू होगा। उदाहरण के लिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रदान की गई सख्ती ऐसे मामले में आड़े नहीं आएगी क्योंकि हम एक व्यक्ति की स्वतंत्रता से निपट रहे हैं। हमें लगता है कि जितनी अधिक सख्ती होगी, निर्णय उतना ही जल्दी होना चाहिए। आखिरकार, इस

प्रकार के मामलों में गवाहों की संख्या बहुत कम होगी और मुकदमे को लंबा खींचने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। शायद प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने और संहिता की धारा 309 का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है।"

18. अपराधी पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। हर किसी में मानवीय क्षमता अच्छी होती है और इसलिए, किसी भी अपराधी को कभी भी सुधार से परे न समझें। अपराधियों, किशोर और वयस्क के साथ व्यवहार करते समय यह मानवतावादी मूल सिद्धांत अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वास्तव में, हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। जब कोई अपराध किया जाता है, तो अपराधी को अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाले कई कारक जिम्मेदार होते हैं। वे कारक सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं, मूल्यों के क्षरण या माता-पिता की उपेक्षा का परिणाम हो सकते हैं; परिस्थितियों के तनाव के कारण हो सकते हैं, या गरीबी या अन्य अभावों के विपरीत संपन्नता के माहौल में प्रलोभनों की अभिव्यक्ति हो सकती है।

19. यदि राज्य या संबंधित न्यायालय सहित किसी अभियोजन एजेंसी के पास संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने का कोई साधन नहीं है, तो राज्य या किसी अन्य अभियोजन एजेंसी को इस आधार पर जमानत की याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना लागू होता है।

20. हम यह आगे कहने की जल्दबाजी कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता अभी भी एक अभियुक्त है, दोषी नहीं। आपराधिक

न्यायशास्त्र की अति-प्रचलित धारणा कि एक अभियुक्त को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, को हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता है, चाहे दंड कानून कितना भी कठोर क्यों न हो।

(जोर दिया गया)

32. यह भी ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ता डेढ़ वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है तथा उसकी पहले किसी मामले में कोई भागीदारी नहीं है। याचिकाकर्ता को 23 फरवरी 2024 के आदेश के तहत 12 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया और 22 अप्रैल 2024 को रिहा किया गया तथा 4 मई 2024 को उसने आत्मसमर्पण किया।

33. अति.लो.अभि. का यह तर्क कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी, क्योंकि उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, इस स्तर पर प्रासंगिक नहीं हो सकता है, यह देखते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप पत्र दायर किया जा चुका है, याचिकाकर्ता डेढ़ साल से अधिक समय से हिरासत में है, उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था और उसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता का नाम मूल आरोप-पत्र में नहीं था, लेकिन अनुपूरक आरोप-पत्र में उसका नाम था।

34. इस न्यायालय ने **उषा देवी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार** 2024:डीएचसी:5229 मामले में कथित खुलासे और कोई बरामदगी नहीं होने

तथा सीडीआर विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त पक्ष को जमानत देने के संबंध में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया था।

35. *अजमल टी.ए. उर्फ कुरु बनाम राज्य*, वि.अनु.या. (आप) संख्या 6599/2023 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23 अगस्त 2023 के निर्णय को भी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा संज्ञान में लाया गया है जिस मामले में 119.7 ग्राम मेथमफेटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और 19.85 ग्राम मेथमफेटामाइन बरामद हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ता की भूमिका यह थी कि सह-अभियुक्त उसके संपर्क में था। व्यक्ति की तलाशी से कुछ भी पता नहीं चला और उसे पूरी तरह से सह-अभियुक्त के बयान और सीडीआर विवरण के आधार पर फंसाया गया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह नियम और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

36. यह न्यायालय *राजकुमार हरिराम गमेती बनाम गुजरात राज्य* 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 572 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी इस संबंध में शिक्षाप्रद पाता है। यह निर्णय एनडीपीएस मामले में एक दोषी द्वारा अपील के मामले से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोषसिद्धि का निर्णय पूरी तरह से एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत उसके इकबालिया बयान पर आधारित था। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार हैं:

"6. समय के साथ कानून की स्थिति बदल गई है। वर्ष 2020 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने तोफान सिंह बनाम

तमिलनाडु राज्य, [(2013) 16 एससीसी 31] में एक खंडपीठ के संदर्भ आदेश का जवाब दिया और कन्हैयालाल बनाम भारत संघ, [(2008) 4 एससीसी 668] और राज कुमार करवाल बनाम भारत संघ, [(1990) 2 एससीसी 409] के मामले में अनुपात की फिर से जांच की, ताकि यह तय किया जा सके कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले की जांच करने वाला अधिकारी 'पुलिस अधिकारी' के रूप में योग्य होगा या नहीं। अन्य संबंधित मुद्दा, जिसकी जांच तोफान सिंह, [(2021) 4 एससीसी 1] में बड़ी पीठ द्वारा की गई थी, वह यह था कि क्या एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है या नहीं, भले ही अपराधी को 'पुलिस अधिकारी' माना जाए या नहीं।

7. तोफान सिंह (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के संदर्भ का उत्तर क्रमशः पैरा 158.1 और 158.2 में निम्नानुसार दिया गया :---

8. पैरा 158.1 इस प्रकार है: -

"158.1. जिन अधिकारियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत वर्जित होगा, और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

9. पैरा 158.2 इस प्रकार है: -

"158.2. एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत दर्ज बयान को एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के विचारण में एक इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

10. इस प्रकार, आज की तारीख में कानून की स्थिति यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 के तहत शक्तियों से संपन्न किसी अधिकारी के समक्ष किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई भी इकबालिया बयान इस कारण से वर्जित है कि ऐसे अधिकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में 'पुलिस अधिकारी' हैं, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया या दर्ज बयान, एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के विचारण में इकबालिया बयान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

37. केवल लेनदेन, वह भी राघवेन्द्र गुप्ता नामक व्यक्ति से तीन किस्तों में 10,000/- तथा 20,000/- रुपए की राशि का, प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं करता है कि यह धनराशि याचिकाकर्ता को प्रिंस उर्फ पुष्पेंद्र या किसी अन्य को प्रतिबंधित सामान की आपूर्ति के लिए दी गई थी। राघवेन्द्र गुप्ता प्रिंस उर्फ पुष्पेंद्र का भाई था और उसने केवल इतना कहा कि यह राशि उसके भाई के निर्देशानुसार याचिकाकर्ता को दे दी गई थी।

38. फिर भी, ये बयान पूरी तरह से धारा 67 एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत हैं और याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये जमानत देने के आकलन के लिए प्रथम दृष्टया टिप्पणियां हैं, तथा तथ्यों का अंतिम मंथन विचारण के दौरान होगा।

39. परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश

दिया जाता है, जो कि विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अधीन है, साथ ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

- i. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।
- ii. आवेदक को अपना पता विचारण न्यायालय को उपलब्ध कराना होगा।
आवेदक को आवासीय पते में किसी भी परिवर्तन के संबंध में न्यायालय को शपथ-पत्र के माध्यम से तथा जांच अधिकारी को सूचित करना होगा।
- iii. जब भी मामला सुनवाई के लिए आएगा, आवेदक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा।
- iv. आवेदक को विचारण न्यायालय को सभी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने होंगे, जिन्हें हर समय चालू हालत में रखा जाएगा और संबंधित जांच अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना मोबाइल नंबर को बंद या बदला नहीं जाएगा। आवेदक प्रत्येक सोमवार को सायं 4 बजे संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
- v. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा और अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह, शिकायतकर्ता/पीड़ित या

शिकायतकर्ता/पीड़ित के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ संवाद या संपर्क नहीं करेगा या मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

40. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर राज्य को जमानत रद्द करने की मांग करने का अधिकार मिल जाता है।

41. निर्णय इस न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(अनीश दयाल)
न्यायाधीश

11 सितंबर, 2024/एसएम/केपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।